

राजस्व, मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम [आर.ए.एस.]

राजस्व वाद संख्या : 23/2019

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. संदीप सिंह पुत्र गिरदावर सिंह         | 1. जल कौर पत्नि पूर्ण सिंह      |
| 2. मोहर सिंह पुत्र वचित्र सिंह           | 2. बीकर सिंह पुत्र पूर्ण सिंह   |
| 3. सतपाल सिंह पुत्र सुखदेव सिंह          | 3. पाल सिंह पुत्र पूर्ण सिंह    |
| 4. रजिन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह       | 4. जलन्धर सिंह पुत्र पूर्ण सिंह |
| 5. नसीब कौर पत्नि सुखदेव सिंह            | 5. परमपाल कौर पुत्री पूर्ण सिंह |
| 6. अमृतपाल सिंह पुत्र सुखमन्द्र सिंह     | 6. अमरजीत कौर पुत्री पूर्ण सिंह |
| 7. अजादविन्द्र सिंह पुत्र लखविन्द्र सिंह | 7. बलजीत कौर पुत्री पूर्ण सिंह  |
| 8. गमदूर सिंह पुत्र जीत सिंह             | 8. हरजीत कौर पुत्री पूर्ण सिंह  |
| 9. महिन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह          | 9. गुरदेव सिंह पुत्र ठाना सिंह  |
| 10. गुरचरण सिंह पुत्र लाल सिंह           | 10. सर्वजीत कौर पत्नि जोध सिंह  |
| 11. गुरप्रीत कौर पत्नि जलन्धर सिंह       | 11. गुरसेव सिंह पुत्र जोध सिंह  |
| 12. जगतार सिंह पुत्र बिकर सिंह           | 12. कर्मजीत सिंह पुत्र जोध सिंह |
- सभी जातियान जटसिख निवासीगण  
रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर  
जिला श्रीगंगानगर
13. परमजीत सिंह पुत्र जोध सिंह  
14. जरनैल सिंह पुत्र जोध सिंह  
15. छिन्द्रपाल कौर पत्नि जोध सिंह  
16. राम सिंह पुत्र बचन सिंह  
17. गुरतेज सिंह पुत्र बचन सिंह  
18. सुखदेव सिंह पुत्र बचन सिंह  
19. लाभ सिंह पुत्र करतार सिंह  
20. प्रीतम सिंह पुत्र करतार सिंह  
21. अमरजीत सिंह पुत्र वजीर सिंह  
22. जसविन्द्र कौर पत्नी कर्म सिंह  
23. राजविन्द्र कौर पुत्री कर्म सिंह  
24. अवतार सिंह पुत्र कर्म सिंह  
25. जसपाल सिंह पुत्र कर्म सिंह
- सभी जातियान जटसिख निवासीगण  
रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर  
जिला श्रीगंगानगर
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार  
(राजस्व) श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:-09.04.2019

उपस्थित: 1. श्री इन्द्रजीत सिंह, बलवीर सिंह अधिवक्ता वादीगण

2. श्री सुधीर कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 16 ता 18

--निर्णय--

दिनांक : 11/11/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 8 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 18/23 के मु.न. 1 की कुल 6.325 हैक्टर, मु.न. 26 की कुल 6.135 हैक्टर, मु.न. 27 की कुल 6.325 हैक्टर, मु.न. 32 की कुल 6.325 हैक्टर, मु.न. 33 की कुल 6.210 हैक्टर, मु.न. 41 की कुल 6.325 हैक्टर, मु.न. 42 की कुल 6.198 हैक्टर, मु.न. 43 की कुल 5.882 हैक्टर, मु.न. 57/2 की 0.127 हैक्टर गैर मुमकिन खाला भूमि व मु.न. 57/24 की 0.126 हैक्टर, मु.न. 57/24 की 0.126 हैक्टर गैर मुमकिन खाला भूमि इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 56.354 हैक्टर नहरी भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम


बखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि संयुक्त खाता की भूमि है। काशतकारो ने काशत की सहूलियत से मौखिक बंटवारानामा किया हुआ है। प्रत्येक खातेदार का अपने-अपने हिस्सा के अनुसार भूमि पर बंटवारानुसार कब्जा काशत चला आ रहा है। वादी संख्या 1 के कब्जा काशत में चक 8 एफ ए रडेवाला की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 18/23 के मु.न. 26 के किला न. 11 ता 13 में 0.759 हैक्टर, किला न. 14 में 0.235 हैक्टर, किला न. 17 में 0.235 हैक्टर, किला न. 19 ता 24 में 1.518 हैक्टर, किला न. 25 में 0.114 हैक्टर व 0.014 हैक्टर गैरमुमकिन खाला व खाता संख्या 57/9 में 0.012 हैक्टर गैरमुमकिन खाला भूमि कुल रकबा 2.875 हैक्टर नहरी भूमि, व वादी संख्या 2 के नाम चक 8 एफ ए रडेवाला की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 18/23 के मु.न. 26 के किला न. 1 ता 3 प्रत्येक 0.240 हैक्टर, किला न. 4 में 0.241 हैक्टर, किला न. 5 में 0.215 हैक्टर, किला न. 6 में 0.117 हैक्टर, किला न. 7 ता 10 में 1.012 हैक्टर, किला न. 15 में 0.228 हैक्टर, किला न. 16 में 0.228 हैक्टर, किला न. 25 में 0.114 हैक्टर, कुल रकबा 2.875 हैक्टर, नहरी भूमि व वादी संख्या 3,4,5 के नाम चक 8 एफए रडेवाला की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 18/23 के मु.न. 42 के किला न. 7 में 0.059 हैक्टर, किला न. 8 ता 13 में 1.518 हैक्टर, किला न. 14 में 0.058 हैक्टर, किला न. 15 में 0.225 हैक्टर, किला न. 16 में 0.228 हैक्टर, किला न. 17,18,19,20,21,22,23,24 प्रत्येक सालम-सालम, किला न. 25 में 0.227 हैक्टर कुल 4.341 हैक्टर नहरी भूमि व चक 8 एफए रडेवाला की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 18/23 के मु.न. 31 के किला न. 1 ता 25 सालम व मु.न. 32 के किला न. 1 ता 25 सालम कुल 12.650 हैक्टर नहरी भूमि में से वादी संख्या 6 के नाम 1.518 हैक्टर व वादी संख्या 7 के नाम 1.518 हैक्टर, वादी संख्या 8 के नाम 5.780 हैक्टर, वादी संख्या 9 के नाम 3.834 हैक्टर, नहरी भूमि व वादी संख्या 10 के नाम चक 8 एफ ए रडेवाला की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 18/23 के मु.न. 41 के किला न. 13 में 0.089 हैक्टर, किला न. 18 व 23 में 0.506 हैक्टर, किला न. 1,2,9,10,11,12,19,20,21,22 में 2.530 हैक्टर व मु.न. 42 के किला न. 4 में 0.253 हैक्टर, किला न. 5 में 0.228 हैक्टर, किला न. 6 में 0.228 हैक्टर, कुल 0.709 हैक्टर, दोनो मुख्यों में कुल रकबा 3.834 हैक्टर, वादी संख्या 11 के नाम चक 8 एफ ए रडेवाला की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 18/23 के मु.न. 41 के किला न. 4 में 0.076 हैक्टर, किला न. 5,6,15,16,24,25 प्रत्येक सालम-सालम कुल 1.518 हैक्टर, मु.न. 42 के किला न. 1 में 0.253 हैक्टर इस प्रकार दोनो मुख्यों में कुल 1.847 हैक्टर नहरी भूमि व जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 18/23 के मु.न. 42 के किला न. 3 सालम वादी संख्या 12 के नाम 0.253 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज है। उक्त खाता में खातेदार पूर्ण सिंह फौत हो चुका हैं। पूर्ण सिंह के स्थान पर उसके वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। व नाजर सिंह पुत्र विशन सिंह भी फौत हो चुका है। नाजर सिंह के वारिसान व खातेदार कौर सिंह ने अपनी भूमि बेचान कर दी है। इसलिए कौर सिंह के स्थान पर खरीददार को पक्षकार बनाया गया है।

वादगत भूमि संयुक्त खाता की भूमि है। जिसमें कृषि कार्य यथा बैक ऋण वावत, सिचाई व लगान तथा रास्ता के सम्बन्ध में असुविधा रहती है। जिस कारण इसका खाता विभाजन करवाया जाना आवश्यक है इसलिए वादीगण वाद पेश करने के अधिकारी हैं। वादीगण दिनांक 19.03.2018 को प्रतिवादीगण से मिलकर खाता विभाजन हेतु कहा तो उन्होने इन्कार कर दिया यही वाद कारण है। राज्य सरकार को जरिए तहसीलदार पक्षकार बनाया गया है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे:-

वादी संख्या 1 के कब्जा काशत में चक 8 एफ ए रडेवाला की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 18/23 के मु.न. 26 के किला न. 11 ता 13 में 0.759 हैक्टर, किला न. 14 में 0.235 हैक्टर, किला न. 17 में 0.235 हैक्टर, किला न. 19 ता 24 में 1.518 हैक्टर, किला न. 25



राजस्व आचकारा (राजस्व)  
सुपरवाइजर (राजस्व)

संदीप सिंह आदि बनाम जल कौर आदि

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 91 आरटीए, राजस्व वाद संख्या संख्या 23/2019

में 0.114 हैक्टर व 0.014 हैक्टर गैरमुमकिन खाला व खाता संख्या 57/9 में 0.012 हैक्टर गैरमुमकिन खाला भूमि कुल रकबा 2.875 हैक्टर नहरी भूमि, व वादी संख्या 2 के नाम चक 8 एफ ए रडेवाला की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 18/23 के मु.न. 26 के किला न. 1 ता 3 प्रत्येक 0.240 हैक्टर, किला न. 4 में 0.241 हैक्टर, किला न. 5 में 0.215 हैक्टर, किला न. 6 में 0.117 हैक्टर, किला न. 7 ता 10 में 1.012 हैक्टर, किला न. 15 में 0.228 हैक्टर, किला न. 16 में 0.228 हैक्टर, किला न. 25 में 0.114 हैक्टर, कुल रकबा 2.875 हैक्टर, नहरी भूमि व वादी संख्या 3,4,5 के नाम चक 8 एफए रडेवाला की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 18/23 के मु.न. 42 के किला न. 7 में 0.059 हैक्टर, किला न. 8 ता 13 में 1.518 हैक्टर, किला न. 14 में 0.058 हैक्टर, किला न. 15 में 0.225 हैक्टर, किला न. 16 में 0.228 हैक्टर, किला न. 17,18,19,20,21,22,23,24 प्रत्येक सालम-सालम, किला न. 25 में 0.227 हैक्टर कुल 4.341 हैक्टर नहरी भूमि व चक 8 एफए रडेवाला की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 18/23 के मु.न. 31 के किला न. 1 ता 25 सालम व मु.न. 32 के किला न. 1 ता 25 सालम कुल 12.650 हैक्टर नहरी भूमि में से वादी संख्या 6 के नाम 1.518 हैक्टर व वादी संख्या 7 के नाम 1.518 हैक्टर, वादी संख्या 8 के नाम 5.780 हैक्टर, वादी संख्या 9 के नाम 3.834 हैक्टर, नहरी भूमि व वादी संख्या 10 के नाम चक 8 एफ ए रडेवाला की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 18/23 के मु.न. 41 के किला न. 13 में 0.089 हैक्टर, किला न. 18 व 23 में 0.506 हैक्टर, किला न. 1,2,9,10,11,12,19,20,21,22 में 2.530 हैक्टर व मु.न. 42 के किला न. 4 में 0.253 हैक्टर, किला न. 5 में 0.228 हैक्टर, किला न. 6 में 0.228 हैक्टर, कुल 0.709 हैक्टर, दोनो मुरब्बों में कुल रकबा 3.834 हैक्टर, वादी संख्या 11 के नाम चक 8 एफ ए रडेवाला की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 18/23 के मु.न. 41 के किला न. 4 में 0.076 हैक्टर, किला न. 5,6,15,16,24,25 प्रत्येक सालम-सालम कुल 1.518 हैक्टर, मु.न. 42 के किला न. 1 में 0.253 हैक्टर इस प्रकार दोनो मुरब्बों में कुल 1.847 हैक्टर नहरी भूमि व जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 18/23 के मु.न. 42 के किला न. 3 सालम वादी संख्या 12 के नाम 0.253 हैक्टर नहरी भूमि संयुक्त खाता की भूमि वादीगण के हिस्सा का विभाजन शेष खातेदारन से करवाया जाकर वादीगण के नाम अलग से किलावाईज भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। एवं अन्य कोई अनुतोष हो तो वादीगण को दिलाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25 की तलवी विधिवत रूप से होने के बावजूद उपस्थित नही आने पर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 3, 5 ता 8, 13 की तलबी जरिए अखबार प्रकाशन से करवाई गई। किसी के उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 3, 5 ता 8, 13 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 16,17,18 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 16, 17, 18 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया। वादीगण को प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम पर कोई एतराज नहीं है। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर जवाब स्टेट बन्द किया गया।

दोनों पक्षों के द्वारा निवेदन किया कि दोनों पक्ष वादपत्र एवं काउन्टर क्लेम पर सहमत है। अतः वादपत्र एवं काउन्टर क्लेम अनुसार वादपत्र डिक्री किया जावे तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात तथा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया।

वस्तुतः वादीगण संख्या 1 ता 12 एवं प्रतिवादीगण संख्या 16, 17, 18 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण संख्या 1 ता 12 एवं प्रतिवादीगण संख्या 16, 17, 18 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण संख्या 1 ता 12 एवं प्रतिवादीगण संख्या 16, 17, 18 अपने हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक



अखिलेश अधिकारी (राजस्व)  
डिक्रीपत्र

संदीप सिंह आदि बनाम जल कौर आदि

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 91 आरटीए, राजस्व वाद संख्या 23/2019

प्राथमिक डिक्री इस आशय की सादिर की गई कि चक 8 एफ ए पटवार हल्का रडेवाला तहसील श्री करणपुर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काशत की आराजी जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 18/23 में वादी संख्या 1 ता 12 व प्रतिवादी संख्या 16, 17, 18 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में हक हिस्से अनुसार दर्ज भूमि का मौके पर बाई मिट्ट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किए जावे। तथा शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में अपने पत्रांक 9447 दिनांक 04.03.2020 द्वारा बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

बहस वकूलाय सुनी गई, बहस के दौरान वकूलाय ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकूलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः माफिक बंटवारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि राजस्व ग्राम चक राजस्व ग्राम 8 एफ ए, पटवार हल्का-रडेवाला तहसील श्री करणपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काशत की आराजी खाता संख्या 18/23 जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 में वादी संख्या 1 ता 12 एवं प्रतिवादी संख्या 16, 17, 18 के हक हिस्से की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्लियत सकूनत	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	संदीप सिंह पुत्र गिरदावर सिंह जटसिख साकिन रडेवाला	26     57/9	11ता 13	0.759 हैक्टर	नहरी	5.24
			14/1	0.235 हैक्टर	नहरी	1.62
			17/1	0.235 हैक्टर	नहरी	1.62
			19 ता 24	1.518 हैक्टर	नहरी	10.49
			25/1	0.114 हैक्टर	नहरी	0.79
				0.014 हैक्टर	गैरमुमकिन खाला	0
2.	मोहर सिंह पुत्र वचित्र सिंह	26	1	0.240 हैक्टर	नहरी	1.66
			2	0.240 हैक्टर	नहरी	1.66
			3	0.240 हैक्टर	नहरी	1.66
			4	0.241 हैक्टर	नहरी	1.67
			5	0.215 हैक्टर	नहरी	1.49
			6/1	0.117 हैक्टर	नहरी	0.81
			7 ता 10	1.012 हैक्टर	नहरी	7.00
			15	0.228 हैक्टर	नहरी	1.58
			16	0.228 हैक्टर	नहरी	1.58
			25/2	0.114 हैक्टर	नहरी	0.79
			3.	नसीब कौर पत्नि सुखदेव सिंह	42	7/1
8 ता 13	1.518 हैक्टर	नहरी				10.49
14	0.058 हैक्टर	नहरी				4.00



जयपुर (राजस्थान)  
जिला अधिकारी (सहायक)

4.	79/12651 राजेन्द्र सिंह हि. 16/4217 सतपाल सिंह हि. 639/ 8434 पिसरान सुखदेव सिंह जाति जटसिख सा. रडेवाला	15 16 17 ता 22 23 ता 24 25	0.227 हैक्टर 0.228 हैक्टर 1.518 हैक्टर 0.506 हैक्टर 0.227 हैक्टर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	1.57 1.58 10.49 3.50 1.57	
6	अमृतपाल सिंह पुत्र सुखमन्द्र सिंह हि. 253/8434	31 32	1 ता 25 1 ता 25	6.325 हैक्टर 6.325 हैक्टर	नहरी नहरी	43.71 43.71
7.	आजादविन्द्र सिंह पुत्र लखविन्द्र सिंह हि. 253/8434					
8.	गमदूर सिंह पुत्र जीत सिंह हि. 482/4217					
9.	महेन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह हि. 639/8434 जाति जटसिख सा. रडेवाला					
10.	गुरचरण सिंह पुत्र लाल सिंह जाति जटसिख सा. रडेवाला	41 42	13 18 23 1 ता 2 9 ता 12 19 ता 22 4 5 6	0.089 हैक्टर 0.253 हैक्टर 0.253 हैक्टर 0.506 हैक्टर 1.012 हैक्टर 1.012 हैक्टर 0.253 हैक्टर 0.228 हैक्टर 0.228 हैक्टर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	6.15 1.74 1.74 3.50 7.00 7.00 1.74 1.58 1.58
11.	गुरप्रीत कौर पत्नि जलन्धर सिंह जाति जटसिख सा. रडेवाला	41 42	4 5,6,15, 16,24,25 1	0.076 हैक्टर 1.518 हैक्टर 0.253 हैक्टर	नहरी नहरी नहरी	0.53 10.49 1.74
12.	जगतार सिंह पुत्र बीकर सिंह जाति जटसिख सा. रडेवाला	42	3	0.253 हैक्टर	नहरी	1.74



मुख्य अधिकारी (राजस्व)  
मुख्य अधिकारी (समानता)

13	गुरतेज सिंह हि. 639/16868	33	1/1	0.089 हैक्टर	नहरी	0.61
			1/2	0.126 हैक्टर	नहरी	0.87
14	राम सिंह हि. 479/12651		2 ता 4	0.759 हैक्टर	नहरी	5.24
			8	0.253 हैक्टर	नहरी	1.75
15	सुखदेव सिंह हि. 639/16868		9/1	0.126 हैक्टर	नहरी	0.87
			9/2	.089 हैक्टर	नहरी	0.61
			10 ता 12	0.759 हैक्टर	नहरी	5.24
			13/1	0.101 हैक्टर	नहरी	0.70
			13/2	0.127 हैक्टर	नहरी	0.88
	पिसरान		14	0.253 हैक्टर	नहरी	1.74
	बचन सिंह		15	0.188 हैक्टर	नहरी	1.30
	जाति		16	0.227 हैक्टर	नहरी	1.57
	जटसिख सा.		17/1	0.127 हैक्टर	नहरी	0.88
	रडेवाला		17/2	0.088 हैक्टर	नहरी	0.61
			18 ता 24	1.771 हैक्टर	नहरी	12.24
			25/1	0.088 हैक्टर	नहरी	0.61
			25/2	0.101 हैक्टर	नहरी	0.70
		57/9		0.238 हैक्टर	गैरमुमकिन खाला	00

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{लाखाराम आर.ए.एस}  
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर  
करणपुर (श्री गंगानगर)

निर्णय आज दिनांक.../.../2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{लाखाराम आर.ए.एस}  
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर  
करणपुर (श्री गंगानगर)

